झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

230

अधिसूचना

राँची, दिनांक– 25 अक्टूबर, 2019

आ0सं0–11/क0च0आ0–16–08/2013 का0 8614/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 में संशोधन के निमित्त झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :–

1. (1) यह नियमावली "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जाएगी।

(2) इस नियमावली का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 के नियम 5(ii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"अभ्यर्थियों के लिए उनका आवेदन पत्र झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक नियमावली की अनुसूची–1 के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/विद्युत/यांत्रिक/कृषि अथवा संबंधित अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की उपाधि। उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे।"

3. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 के नियम 5(ii) के उपरांत नियम 5(iii) को निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाता है:–

"नियम 5(iii) "अभ्यर्थियों को उनका आवेदन पत्र आयोग में जमा होने की अंतिम तिथि तक नियमावली की अनुसूची–2 में अंकित पदों के लिए उस पद पर नियुक्ति हेतु गठित नियमावली में पद विशेष के लिए अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य तकनीकी/विशिष्ट योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
25/10/19
(सुधीर कुमार रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–08/2013 का0 8614/राँची, दिनांक– 25 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

25/10/19
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–08/2013 का0 8614/राँची, दिनांक– 25 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/10/19
सरकार के संयुक्त सचिव।

तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता वाले पदों की अनुसूची–2

(नियम–7)

क्र0सं0	विभाग का नाम	पद / सेवा का नाम
1.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	(i) लेबोरेट्री असिस्टेन्ट (ii) लेबोरेट्री अटैन्डेंट (iii) फार्मासिस्ट (iv) एक्स–रे तकनीशियन (v) आप्थेल्मिक सहायक (vi) प्रयोगशाला तकनीशियन
2.	उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	कनीय अनुदेशक
3.	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	अनुदेशक
4.	नगर विकास एवं आवास विभाग	पाईप लाईन इंस्पेक्टर

24/10/19

(सुधीर कुमार रंजन)
संयुक्त सचिव,
24.10.19 24/10/19 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

डिप्लोमा योग्यता वाले पदों की अनुसूची–1

(नियम–7)

क्र0सं0	विभाग का नाम	पद / सेवा का नाम
1.	लोक निर्माण विभाग [झारखण्ड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियंता, सिविल / विद्युत / यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2013 के पद]	(i) कनीय अभियंता (सिविल) (ii) कनीय अभियंता (यांत्रिकी) (iii) कनीय अभियंता (विद्युत)
2.	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।	कनीय अभियंता (कृषि अभियंत्रण)
3.	परिवहन विभाग।	मोटरयान निरीक्षक
4.	खान एवं भूतत्व विभाग।	खान निरीक्षक
5.	उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।	प्रयोगशाला सहायक
6.	नगर विकास एवं आवास विभाग।	कनीय अभियंता (विद्युत)
		कनीय अभियंता (सिविल)
		कनीय अभियंता (यांत्रिकी)

25/10/19

(सुधीर कुमार रंजन)
संयुक्त सचिव,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

24/10/19

25.10.19